

सर्वरक्ष



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद।

संख्या: 111/विसेप्रा-फ0/2025, दिनांक: अगस्त 01, 2025

प्रेस-विज्ञप्ति

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 2389/एसएलएसए-83/2025 (संदीप/नर) दिनांक जुलाई 30, 2025 के अनुपालन में इस जनपद के मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए आवश्यकतानुसार सक्षम मीडियेटर्स का पैनल बनाया जाना है, जिसके अनुसार दीवानी वाद, वैवाहिक विवाद, शमनीय आपराधिक वाद, वाणिज्यिक विवादों आदि की आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यवाही कराया जाना है।

उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया जिला न्यायालय मध्यस्थता नियमावली 2021 के अनुसार मध्यस्थों के चयन की सेवा शर्तें निम्नवत् है :-

अ. मध्यस्थों का पैनल अर्हताएं

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में प्रैक्टिस का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो।
4. आवेदकों को यह उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

ब. अनर्हताएं

1. ऐसा कोई व्यक्ति जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विवृत्तचित का घोषित किया गया हो।
2. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
4. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो।
5. ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय।

.....2



स. मध्यस्थ की भूमिका

1. पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार को संसूचित करेगा।
2. मद्दों की पहचान करने और भ्रान्तियों को स्पष्ट करने में पक्षकारों की सहायता करेगा।
3. पक्षकारों को सूचित करेगा कि मध्यस्थ केवल पक्षकारों को समझौता पर पहुँचने में सुगमता प्रदान कर सकता है।
4. प्राथमिकताओं के क्षेत्र को स्पष्ट करेगा, समझौता के क्षेत्रों की खोज करेगा और विवाद समाधान करने के प्रयास सृजित करेगा।
5. इस बात पर जोर देगा कि किसी समझौता पर पहुँचना पक्षकारों का दायित्व है।
6. मध्यस्थ, पक्षकारों पर समझौता की कोई शर्त अधिरोपित नहीं करेगा।

उपरोक्त सेवा शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से मध्यस्थ चयन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पत्र पर दिनांक 05.08.2025 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद के कार्यालय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फर्रुखाबाद।



प्रतिलिपियां:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है

1. जिला सूचना अधिकारी फर्रुखाबाद एवं व्यूरो चीफ दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वह उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्रों में निःशुल्क एवं जनहित में प्रकाशित कराने कष्ट करें।
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के सूचना पटों पर चस्पा हेतु।
3. जिला न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना पटों पर चस्पा हेतु।
4. जिला एवं तहसील स्तरीय सभी बार संघों के सूचना पटों पर चस्पा हेतु।
- ✓ 5. जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अन्य सभी सम्बन्धित के लिये सूचना।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फर्रुखाबाद।

Seen. SA to upload this on
district court website.

NIO
05/08/2025

अनुसूची एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

अभ्यर्थी अपना
पासपोर्ट साइज
का रंगीन फोटो
प्रमाणित यहाँ
चिपकायें।

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पता:-.....
(क) कार्यालय:.....
(ख) निवास:.....
4. दूरभाष संख्या:.....
(क) कार्यालय:.....
(ख) निवास:.....
5. मोबाइल नम्बर
- (क) कार्यालय:.....
(ख) निवास:.....
6. ई-मेल आईडी
7. शैक्षिक अर्हताएं
8. व्यवसायिक अर्हताएं और अनुभव:.....
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:.....
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:.....
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और वकालत की अवधि:.....
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है ?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है ?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है।
16. अभ्यर्थी उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।

मैं.....एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं
..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:-

पूर्ण हस्ताक्षर